झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0_____ राँची, दिनांक 02/12/15

औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत परामर्श दिया गया है कि किसी भी कारखाना/औद्योगिक स्थापन का निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत अविलम्ब दुबारा निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किया जायेगा :–

(i) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(iv) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953

(v) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(vi) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

(vii) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(viii) ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0) अधिनियम, 1970

सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिनियमों सहित सभी श्रम अधिनियम जिसका प्रवर्त्तन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा किया जाता है के अन्तर्गत किसी भी कारखाना/औद्योगिक स्थापन का श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत अविलम्ब दुबारा निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किया जायेगा। दुबारा निरीक्षण आवश्यक होने पर श्रमायुक्त, झारखण्ड की पूर्वानुमति से उस निरीक्षक जिसके द्वारा निरीक्षण किया गया है, से वरीय पदाधिकारी के द्वारा वांछित निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा।

2. श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण/एकीकृत निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था निरूपित करने का परामर्श दिया गया है :–

(i) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948

(iii) मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(v) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (यदि लागू हो)

(vi) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(vii) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

(viii) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(ix) ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0) अधिनियम, 1970

(x) श्रम कल्याण कोष अधिनियम (यदि लागू हो)

उपर्युक्त अधिनियमों में कंडिका–(x) पर उल्लेखित श्रम कल्याण कोष अधिनियम झारखण्ड राज्य में लागू नहीं है। अन्य अधिनियमों में वर्तमान निरीक्षण व्यवस्था के मद्देनजर वैसे कारखाना प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते हैं, में ही एक से अधिक निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जाना वांछित है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि वैसे कारखाना प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते हैं, में सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार के सभी निरीक्षकों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण/एकीकृत निरीक्षण किया जायेगा।

3. इस व्यवस्था को क्षेत्रीय पदाधिकारियों/निरीक्षकों के द्वारा कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण आवंटन प्रणाली के माध्यम से श्रमायुक्त, झारखण्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

4. इस व्यवस्था के अतिरिक्त श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी औचक निरीक्षण श्रमायुक्त या उच्चतर पदाधिकारियों की पूर्वानुमति से किये जा सकेंगे।

(संख्या–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0_____राँची, दिनांक_____)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0_____राँची, दिनांक_____

प्रतिलिपिः–प्रेस अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आगामी राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0_____राँची, दिनांक_____

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक/सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0 2081 राँची, दिनांक 02/12/15

प्रतिलिपिः–महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/12/2015

सरकार के अवर सचिव।